फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

जयकिशन बनाम जमना (वगैरा)

स्म मुकदमा प्रा. पत्र 111-128 नं0 104 सन 2020

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
0	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 11.8.20 को पेश हो । उपखण्ड आधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
8.2	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन / बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 25.8.20 को पेश हो ।	
5.20	उभय पक्ष [illegible] राजकीय कार्य से बाहर [illegible] पर है / पदरिक्त है अतः पत्रावली दिनांक 15.9.20 पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
.20	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किये गये, तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा. प. की गई, अप्रार्थीगण को तिनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नही इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है। वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही / वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी, वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.30 11:03:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

ासीन अधिकारी–महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

दमा संख्या – 104/20 प्रा.पत्र

श्री जयकिशन S/o श्री रूपा जाटरी निवासी: काशीरामजी की खेड़ी त० माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

जमना पुत्री बालु कुमावत निवासी- काशीराम जी की खेड़ी तहसील- माण्डल

हस्तांकित प्रा. पत्रलयन(कुंवर)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 15.09.20

::आदेश::

की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन ा कि ग्राम काशीरामजी की खेड़ी पटवार हल्का आलमास तहसील माण्डल में उसके /संयुक्त खाते की आराजी न. 1142/102 कुल किता 01 रकबा 02 ...... — बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते ूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 02.07.20 को पंजीबद्व किया जाकर ण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से रगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की -फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को ते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

र्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम काशीराम खेड़ी पटवार हल्का आलमास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की राजी नं. 1142/102 कुल किता 01 रकबा 02 ाघा — बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये ाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक आलमास 400/- रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा ... नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.30 11:03:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner